न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
127/21	20.9.21	04.01.22

उनवान

1. गीता कंवर बेवा पूरणसिंह
2. रविसिंह पुत्र पूरणसिंह
3. हंसाबाई पुत्री पूर्णसिह नाबालिगान जर्ये सरपरस्त माता गीताकंवर
4. रतनाबाई पुत्री भवरसिह जर्ये मु0आ0 गीताकंवर कोम राजपूत निवासी बसई जगता तहसील किशनगढबास हाल निवासी बहादरसिंह तहसील जिल अलवर।

:–वादीगणः–

बनाम

1. प्यारेलाल मृतक

1/1– मनोहरलाल

1/2– संतराम

1/3–नारायण प्रसाद

1/4–गोरीशंकर पुत्रान प्यारेलाल महाजन साकिन बसई जगता

2. हजारीलाल पुत्र बद्रीप्रसाद कोम महाजन निवासी ग्राम बसई जगता तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:–प्रतिवादीगणः–

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0 एक्ट0 1955

उपस्थितिः– 1.श्री जगनसिंह गुर्जर वकील वादी की ओर से
2.प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्नप्रकार से हैः–

आराजी हाल ख0न0 238/3–11, 276/1–2, 275/2–11 समस्त व 281/3–15 का 9/75 भाग वाके ग्राम बसई जगता तहसील किशनगढबास है कि जो इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। विवादित आराजी हकूक मृतक भंवरसिह पुत्र फूलसिंह राजपूत बसई जगता की खातेदारी की आराजी थी जो अपने जीवन काल में काबिज थे ओर उनकी मृत्यु के बाद हम वादीगण काबिज है मौका पर वास्तविक कब्जा है हमारे नाम वीरासत का इन्तकाल दरज वो स्वीकार होकर जमाबंदी में अमल हुआ है वास्तु मलाहिजा नकल जमाबंदी 2060 से 63 संलग्न है।

विवादित आराजी की बाबत राजस्व रिकार्डस भंवरसिंह को खातेदारदरज नही किया गया था बल्कि राहिन दरज कर स्वरूपकंवर व अप्रार्थीगण को मुर्तहन दज किया गया जो कि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

कतई गलत है मोका के कब्जा काश्त व कानून के विपरीत है जबकि स्वरूपकंवर वगैरा ने अपने सशपथ बयान में विवादित आराजी का कब्जा काश्त प्रार्थीगन का ही स्वीकार किया है व स्वयं के नाम के मुर्तहन के अमल को कलमजन कराने का बयान किया गया है। अल्बत्ता भवरंसिह ने उक्त आराजी को कभी रहन नही किया ओर राहिन का इन्द्राज भी कानून के विपरीत किया गया ह।

राजस्व रिकार्ड में खातेदार दरज नही होने व मुर्तहन का अमल होने के कारण वादीगण के हकूको पर भारी कुठाराघात होता है इसलिए वादीगण स्वयं को खातेदार दरज कराने व प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के नाम का अंकन कलमजन कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार वा सम्बंध या कब्जा काश्त न तो था ना ही प्रतिवादीगण गैर काबिज गैरवास्ता है अतः हकूको की रक्षार्थ वाद पेश करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

अ– डिक्री इश्तकराहक पारित की जाकर आराजी हाल ख0न0 238/3–11, 276/1–2 , 275/2–11 समस्त व 281/3–15 का 9/75 भाग वाके ग्राम बसई जगता तहसील किशनगढबास के वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

ब– डिक्री दुरूस्त बहक वादीगण पारित की जाकर हाल जमाबंदी में वादीगण के नाम खातेदार व प्रतिवादीगण एवं स्वरूपकंवर वगै0 का मुर्तहन का अमल कलमजन कराया जावे।

स– अन्य साहयता अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने दावे को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया कि आराजी को विवादित आराजी कहलाना गलत है।वादीगण ने आराजी मुतदाविया को भवंर सिह राजपूत की खातेदारी काबिज काश्तकार नही था। वादीगण ने उक्त जिमन मे अपने आपको तथा कथित भंवर सिंह की फौतगी के बाद काबिज होना गलत दर्ज किया है तथा कथित भंवरसिंह तथा वादीगण का आराजी मुतदाविया से किसी प्रकार का कोई सरोकार वा सम्बध नही रहाळ तथा कथित भंवरसिंह संन 1955 के पूर्व से ग्राम बहादरपुर तह0 अलवर मे रहता था और वही उसका सन 1960 के आसपास कत्ल हुआ था। वादीगण ने राजस्व कर्मचारियो वो अधिकरीयो से साज बाज होकर तथा कथित गलत वो गैर कानूनी तरीके से कार्यवाही इंतकाल वो अपने नाम का अमल राजस्व रिकार्ड में कराया हो तो उसके प्रतिवादीगण पाबन्द नही है। वादीगणन के नाम का राजस्व रिकार्ड में कभी अंकन नही रहा। वादीगण ने वास्तविक तथ्यो को जानबूजकर छुपाया है शुद्व हस्त होकर वादपत्र प्रस्तुत नही किया तथा वाद वादीगण बदनियति पूर्वक, फेब्रिकेटेड, फाल्स वो रोग तथ्य दर्ज कर पेश किया है, जबकि वास्तविकता वा हकीकत यह है कि आराजी मुतदाविया का बिस्वेदार, हिस्सेदार मालिक फूलसिंह था, जिसने संन 1985 के आस पास आराजी मुतदाविया का बाजप्ता बाकब्जा प्रतिफल लेकर प्रतिवादीगण के पिता बद्री प्रसाद वो गुलाबसिंह को रहन अन्य आराजीयात के साथ खाली रखी थी । प्रति0 के पिता बद्री प्रसाद मुतदाविया हुये उनके

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

जीवन काल से ही प्रतिवादीगण आराजी मुतदाविया पर काबिज काश्त चले आ रहे। और आज मौके पर भी प्रतिवादीगणन का कब्जा काश्त आराजी मुतवादिया आराजी प्रतिवादीगण के पिता को विस्वेदार से प्राप्त हुई। उस समय तत्कालीन कानून अलवर रेवेन्यू कोड लागू था तथा राजस्थानी काश्तकारी अधि0 1955 एवं राज0 जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूनल अधिनियम 1959 वकू में आया, उस वक्त भी प्रतिवादीगण काबिज काश्त आराजी मुतदाविया थे, ओर प्रति0 का कब्जा काश्त होने की सूरत में प्रतिवादीगण को बाई ओपरेशन आफ लॉ ऑटो मेटिक खातेदारी प्राप्त हो चुकी थी। महज राजस्व कर्मचारियो वो अधिकारीयों द्वारा महज राजस्व रिकार्ड में खातेदारी इन्द्राज मुर्तहन प्रतिवादीगण के नाम का करना था। मात्र राहिनान का नाम हजफ करना था ऐसी सूरत में राहिनान का आराजी मुतदाविया से राहिनान का कोई सरोकार वो सम्बध नहीं है। अतः वाद वादीगण काबिल खारिज है। खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य ली गई । वादिया ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पीडब्लू–1, रनमलसिंह पुत्र भगवान– पीडब्लू–2 , नरेन्द्र सिंह पुत्र विजयसिंह पीडब्लू– 3, बुधराम पुत्र बहादुरसिंह पीडब्लू–4, बयान कराये तथा दस्तावेजात प्रदर्श कराये। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने जमाबंदी संवत 2060–63 पेश किये, फोटो कोपी नकल शपथ पत्र पेश किया है।वादी की साक्ष्य के बाद प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली गई। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किये जिसमें डीडब्लू–1 हजारीलाल, डी–डब्लू–2 बिशनसिंह, डीडब्लू–3 पेंश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए–1 जमाबंदी संवत 1990, प्रदर्श ए–2 जमाबंदी संवत 1990, प्रदर्श ए–3 जमाबंदी संवत 1995, प्रदर्श ए–4 जमाबंदी संवत 2004, प्रदर्श ए–5 जमाबंदी संवत 2004–11, प्रदर्श ए–6 जमाबंदी संवत 2015, प्रदर्श ए–7 जमाबंदी संवत 2011, प्रदर्श ए–8 जमाबंदी संवत–2015, प्रदर्श ए–9 जमाबंदी संवत 2019, प्रदर्श ए–10 जमाबंदी संवत –2019, प्रदर्श ए–11 जमाबंदी सैटलमेंट संवत 2029, प्रदर्श ए–12 जमाबंदी संवत 2029, प्रदर्श ए–13 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श ए–14 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श ए–15 निर्णय दिनांक उपखण्ड अधिकारी स्वरूप कवंर बनाम कबूलसिह दिनांक 15.9.2004 वादसं0 3/01, प्रदर्श ए–16 पर्चा डिक्री वाद सं0 03/1 दिनाक 15.9.2004, प्रदर्श ए–17 प्रार्थना पत्र दिनांक 17.3.2004 जो वादीगण ने वाद संख्या 03/1 में पेश किया, प्रदर्श ए–18 आदेशिका दिनांक 27.3.2004, स्वरूप कवंर बनाम कवंरसिंह मु0न0 3/01, प्रदर्श ए–19 जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 जो प्रतिवादी द्वारा वाद संख्या 3/01स्वरू कवंर बनाम कबूलसिंह में उपखण्ड अधिकारी ने पेश किया , प्रदर्श ए–20 शपथ पत्र दिनांक 24.8.2004 स्वरूपकंवर, नरेन्द्रसिंह, कवरसिंह, सुरेन्द्रसिह , प्रहलाद सिह ने वाद सं0 3/01 में प्रस्तुत किया, प्रदर्श ए–21 शपथ पत्र अमरसिह पुत्र छज्जूराम ने वाद स्वरूपकंवर बनाम कबूलसिंह वाद सं0 03/1 में पेश किया, प्रदर्श ए–22 जमाबंदी संवत जमाबंदी संवत 2060, प्रदर्श ए–23 फार्म नं0 पी–33, रसीद पम्पीगसंट किस्त, प्रदर्श ए–24 निर्णय दिनांक 15.9.2004 वाद स्वरूपकंवर बनाम कवंरसिह पेश किया है। पत्रावली वास्ते बहस नियुक्त की की गई। पत्रावली दिनांक 27.3.17 को अदम हाजरी पैरवी में खारिज हो गई। वादी ने वाद पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

किया। प्रतिवादी को पुनः तलब किया गया प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए उनके प्रति एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस एक पक्षीय नियुक्त की गई। एवं विवादित आराजी की मौका एवं कब्जा काश्त रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढबास से प्राप्त की गई जिसमें विवादित आराजी ख0न0 281 रकबा 3–15 में से 9/75 भाग पर वादीगण का कब्जा काश्त नही है।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई किया। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यो का दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी में स्वरूप कवंर, नरेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह तथा अमरसिंह, सुरेन्द्र सिह, प्रहलाद सिंह पुत्रान श्री छज्जू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसई जगता तहसील द्वारा लिखाया गया कि विवादित आराजी पर हमारे नाम का जो मुर्तहन का अमल हो रहा है। जो गलत है इस आराजी से हमारा कोई हक हिस्सा किसी प्रकार का नही है। वादीगण का ही कब्जा काश्त कर रहे है। आराजी पर हमारे नाम का मुर्तहन का इन्द्राज हटा दिया जावें तथा निणर्य दिनांक 15.9.2004 में विवादित आराजी के ख0न0 संलग्न नही है। जबकि आराजी पर वादीगण के बजुर्गान सवंत 2000 काबिज होकर काश्त करते थे। यही अमल सं0 2008 की जमाबंदी में हो रहा है जो निरन्तर सं0 2012 सं 2015 की जमाबन्दी में भी दर्ज है । नकल ख0गि0सं0 2012–15 व 16 लगा0 19 तथा 2030 लगा0 2033 की ख0गिरदावरी में भी वादीगण की काश्त दर्ज है। जबकि निर्णय दिनांक 15.9.2004 में वादी स्वरूप कवंर का मुख्य अभिकथन है कि सं0 2012 मे वादीगण का ही अमल है परन्तु 2015 में गलत आधार पर मुर्तहन व राहिनान का अमल दर्ज किया है। इस प्रकार वादीगण भी आराजी पर सं0 2012 से ही काश्त करते चले आ रहे राहिनान का अमल हटाया जाकर वादीगणको खातेदार घोषित किया जाना चाहिए तथा वादी वकील ने आराजी ख0न0 281 रकबा 3–15 में से 9/75 भाग को छोडते हुए वाद डिक्री कर दिया जावें

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न मौका एवं कब्जा काश्त रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढबास एवं तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:–

तनकी नं0–1

आया आ0ख0न0 हाल ख0न0 238/3–11, 276/1–2 , 275/2–11 हे0 वाके ग्राम बसई के काबिज काश्त खातेदार है।इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल मौका रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढबास एवं हाल जमाबंदी में मृतक भवरसिंह की विरास्त इंतकाल वादीगण के पक्ष में अमल हुआ है एवं शपथ पत्र दिनांक 28.1.2004 से साबित है कि विवादित आराजी पर वादीगण की कब्जा काश्त है।जबकि सम्वत 2012 के पूर्व से ही वादीगण की कब्जा काश्त थी वादीगण काननून इस आराजी के खातेदार थे। प्रतिवादीगण के नाम जो मुर्तहन का अंकन हो रहा है विधि विरूद्व है। जो हजफ किये जाने योग्य है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तहय की जाती है।

तनकी नं0–2

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

आया प्रतिवादी ने वाद की ताईद में निर्णय दिनांक 15.9.2004 में विवादित आराजी के ख0न0 शामिल नही है। क्योकि आराजी पर स्वरूप कंवर का कब्जा काश्त नही था वादीगण की कब्जा काश्त आराजी थीं । क्योकि निर्णय में अंकित किया गया था कि स्वरूपकंवर का रहन व मुर्तहन का अमल सवंत 2012 के बाद हुआ। उससे पहले वे खातेदार अंकित थे। इसलिए वादीगण भी संवत 2012 से पूर्व खातेदार अंकित थे। इस लिए वादीगण आराजी विवादित से रहन का इन्द्राज कलमजन कराने एवं राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्व वादी प्रतिवादी तय की जातीहै।

तनकी नं0–3

आया प्रतिवादीगण ने प्रदर्श ए–15 निर्णय दिनांक 15.9.2004 में मुख्य अभिकथन है कि संवत 2012 में वादीगण का ही अमल है परन्तु सं0 2015 में गलत आधार पर मुर्तहन व राहिनान का अमल दर्ज किया है। तथा वादी ने दावे के समर्थन में जो शपथ पत्र स्वरूप कंवर वगै0 का पेश किया है में भी वादीगण की कब्जा काश्त का अंकन किया है। एवं सवंत 2012 सें पूर्व की जमाबंदीयात में वादीगण के पिता व पति सम्भाग राहिन दर्ज रिकार्ड है। एवं काश्त भी सम्भाग पर अंकित है। अतः यह तनकी वादी विरूद्य प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 –4

आया वाद वादी सबसीक्यूसेन्ट के कारण काबिल खारिज है। इस बाबत प्रतिवादी ने कोई ठोस सबूत पेश नही किया क्योकि प्रतिवादी द्वारा निणर्य दिनांक 15.9.2004 की छाया प्रति पेश कि है निर्णय में अंकित वादीगण स्वरूपकंवर वगै0 ने वादी की कब्जा काश्त हेतु शपथ पत्र पेश किये हुए है। अतः प्रतिवादीगण कोई ठोस सबूत पेश नही कर पाये। यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0–5

प्रतिवादीगण द्वारा जानबुझकर दावा मनोहरलाल बनाम गीता कवंर पेश किया है क्योकि वादीगण द्वारा विवादित आराजी बाबत पूर्व में ही दावा पेश किया जा चुका था जिसमें प्रतिवादीगण हाजिर होकर जवाब पेश कियें। प्रतिवादीगण ने जानबूझकर दावा पेश किया गया था जो कानून सही नही है।यह तनकी भी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 6

तनकी नं0 3,4,5, विरूद्व प्रतिवादी तय की गई है तो यह तनकी भी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0–7

वादीगण आराजी विवादित में समभाग के हिस्सेदार है क्योकि निर्णय दिनांक 15.9.2004 में विवादित आराजी को छोडकर डिकी किया है तथा इस वाद में अंकित वादीगण द्वारा शपथ पत्र दिया है कि आराजी उक्त पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है एवं तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

रिपोर्ट में भी वादीगण की कब्जा काश्त है। अतः इस तनकी का भार भी प्रतिवादीगण पर था जो इसे सिद्व नही कर पाये। यह तनकी भी बहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 3,4,.5,6,7 का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने इन तनकीयात को सिद्व करने के लिए कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया इसलिए ये तनकीयात स्वतः ही प्रतिवादीगण जाती है। जिन पर विवेचन किये जाने की आवश्यकता नही रही है। तनकी नं0,3,4.5,6,7 विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार किये गये विवेचनानुसार वादीगण का वाद भलीं भांति साबित होता है वाद वादी डिक्री किया जाना कानून एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आ0ख0न0 हाल ख0न0 281 रकबा 3–15 में से 9/75 हे0 को छोडते हुए अन्य आराजी ख0 न0 हाल 238/3–11, 276/1–2 , 275/2–11 हे0 वाके ग्राम बसई जगता तहसील किशनगढबास का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जमांबदी में जो अमल प्रतिवादीगण के नाम का खातेदार राहिन एवं मुर्तहन का इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल जिला लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
127/21	20.9.21	04.01.22

उनवान

1. गीता कंवर बेवा पूरणसिंह
2. रविसिंह पुत्र पूरणसिंह
3. हंसाबाई पुत्री पूर्णसिह नाबालिगान जर्ये सरपरस्त माता गीताकंवर
4. रतनाबाई पुत्री भवरसिह जर्ये मु0आ0 गीताकंवर कोम राजपूत निवासी बसई जगता तहसील किशनगढबास हाल निवासी बहादरसिंह तहसील जिल अलवर।

:–वादीगण:–

बनाम

1. प्यारेलाल मृतक

1/1– मनोहरलाल

1/2– संतराम

1/3–नारायण प्रसाद

1/4–गोरीशंकर पुत्रान प्यारेलाल महाजन साकिन बसई जगता

2. हजारीलाल पुत्र बद्रीप्रसाद कोम महाजन निवासी ग्राम बसई जगता तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:–प्रतिवादीगण:–

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0 एक्ट0 1955

उपस्थिति:– 1.श्री जगनसिंह गुर्जर वकील वादी की ओर से
2.प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

पर्चा डिक्री 04.01.2022

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आ0ख0न0 हाल ख0न0 281 रकबा 3–15 में से 9/75 हे0 को छोडते हुए अन्य आराजी ख0 न0 हाल 238/3–11, 276/1–2 , 275/2–11 हे0 वाके ग्राम बसई जगता तहसील किशनगढबास का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जमांबदी में जो अमल प्रतिवादीगण के नाम का खातेदार राहिन एवं मुर्तहन का इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल जिला लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)